सं0-146/2015/8899/62-2-2015-2/3(10)/2015

प्रेंषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक: 03 दिसम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं-13 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। (राज्य योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-269/ल0सिं0/बजट-3/2015-16, दिनांक 23-11-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शसन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-215.60 लाख के सापेक्ष प्रथम छ:माही हेतु धनराशि रू0-107.80 लाख को शासनादेश सं0-1474/62-2-2015-2/3(10)/2015, दिनांक 22-4-2015 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-107.80 लाख (रूपया एक करोड सात लाख अस्सी हजार मात्र) को राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश सं0-1474/62-2-2015-2/3(10)/2015, दिनांक 22-4-2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-05-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

सं0-146/2015/8899(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।